प्रेस नोट दिनांक 03.09.2021

इटावा पुलिस द्वारा अवैध गांजा तस्करी करने वाले 02 गांजा तस्करों को 05 कुंतल 26 किग्रा अवैध गांजा, तस्करी में प्रयुक्त बुलेरो पिकप (कुल बरामदगी अनुमानित कीमत 01करोड 30 लाख रूपये) एवं 02 अवैध असलहा सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओजी टीम एवं थाना इकिदल पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 02 गांजा तस्करों को 526 किग्रा अवैध गांजा, गांजा तस्करी में प्रयुक्त वाहन (कुल बरामदगी अनुमानित कीमत 01करोड 30_ लाख रूपये) एवं 02 अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एसओजी टीम एवं थाना इकिदल पुलिस द्वारा थाना इकिदल क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि अवैध गांजा तस्करी करने वाले कुछ लोग बुलेरो पिकप को तिरपाल से ढककर अवैध गांजा भरकर कानपुर की ओर से आ रहे हैं जिनके पास असलहा भी हैं।

सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम कस्बा इकदिल के पूर्वी तिराहे के सामने पहुंचकर बैरीकेटिंग कर सघनता से संदिग्ध व्यक्ति/ वाहनों की चैकिंग करने लगी। कुछ देर बाद एक बुलेरो पिकप कानपुर की तरफ से आती हुई दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो पिकप चालक ने पिकप को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास किया । पुलिस टीम को संदेह होने पर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उक्त पिकप का पीछा किया गया जिसे कुछ दूर आगे चलकर घेराबंदी कर रोक लिया तथा पिकप में बैठे चालक एवं एक अन्य युवक को पकड लिया गया।

पुलिस पूछताछ- पुलिस टीम द्वारा पकडे गये व्यक्तियों से पिकप को भगाने का कारण पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी पिकप में गांजा भरा हुआ है । पुलिस टीम द्वारा पकडे गये व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुए तलाशी लेने पर उनके कब्जे से असलहा बरामद किये गये एवं पिकप की तलाशी लेने पर उसमें से 26 भरी हुई बोरियों बरामद हुई जिनको पुलिस द्वारा खोलकर चैक करने पर गांजा भरा हुआ पाया गया। असलहा एवं गांजा के संबंध में पुलिस द्वारा पकडे गये

व्यक्तियों से लाइसेंस तलब करने पर वह व्यक्ति असलहा एवं गांजा किसी का भी लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहे। पुलिस टीम द्वारा गांजा के संबंध में कडाई से पूछने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग यह अवैध गांजा कोरापुट उडीसा राज्य से लाकर अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से आगरा व उसके आसपास के क्षेत्र में बेचकर रूपये कमाते हैं।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से बरामद अवैध गांजा व असलहा के संबंध में कार्यवाही करते हुए थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 270/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, मु0अ0सं0 271/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 272/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1. ओमप्रकाश छाबा पुत्र कान्हा राम छाबा निवासी डेहहे थाना जायल जनपद नागौर राजस्थान
2. देवीराम उर्फ अजय पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम नंदगवा थाना खेरा राठौर जनपद आगरा।

<u>बरामदगी-</u>

1. 05 कुंतल 26 किग्रा अवैध गांजा (अनुमानित कीमत लगभग 01करोड 22 लाख रूपये)
2. 01 बुलेरो पिकप नं0 सीजी 13 एएल 3947(अनुमानित कीमत लगभग 08 लाख रुपये)

3. 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस
4. 01 अवैध चाकू

<u>पुलिस टीम-</u> प्रथम टीम- निरी0 श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।

<u>द्वितीय टीम</u>- श्री रमेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल, उ0नि0 अवधेश कुमार, का0 शैलेन्द्र कुमार, का0 राधेश्याम, का0 नरेन्द्र कुमार, का0चा0 संदीप कुमार।

<u>नोट-</u> उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 25000/- के पुरस्कार की घोषणा की गई है।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा